

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-375/2019

राजीव कुमार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय, न्यायालय परिसर, डाकघर-जी०पी०ओ०, थाना-कोतवाली, जिला-राँची 834001
3. मुख्य प्रबंधक (मानव संसाधन), भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय, न्यायालय परिसर, डाकघर-जी०पी०ओ०, थाना-कोतवाली, जिला-राँची 834001
4. अनुमण्डल अधिकारी-सह-किराया नियंत्रक, सदर राँची, डाकघर-जी०पी०ओ०, थाना-कोतवाली, जिला-राँची

..... उत्तरदातागण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

याचिकाकर्ता के लिए : सुश्री भारती कुमारी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : ए०जी०

03 / 26 / 07 / 2019

यह सिविल विविध याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें डब्ल्यू०पी० (एस०) संख्या 659/2019 को बहाल करने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि इसे दिनांक 13.3.2019 के आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता ने डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 659/2019 को बहाल करने के लिए याचिका के पैराग्राफ संख्या 4, 5 और 6 में आधार दिखाए हैं।

दिखाए गए आधार पर विचार करते हुए, मैं इस सिविल विविध याचिका को अनुमति देने के लिए इच्छुक हूँ। तदनुसार, डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 659/2019 को मंगलवार तक यानि 30.07.2019 तक सामान्य प्रक्रिया के साथ-साथ ए/डी के साथ पंजीकृत डाक के तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को नोटिस देने के लिए आवश्यक अपेक्षिताएं को दाखिल करने के अध्यक्षीन अपनी मूल फाइल में बहाल कर दिया गया है अन्यथा, उनके खिलाफ याचिका बिना किसी पीठ को भेजे खारिज हो जाएगी।

तदनुसार, डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 1485/2018 को इसकी मूल फाइल में दो सप्ताह के भीतर बहाल कर दिया गया है।

(आनंदा सेन, न्याया0)